सुरजन सिंह, अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

कुलसचिव, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय,

उच्च शिक्षां अनुभाग-2

लखनऊ:दिनांक: 30 अगस्त 2010

विषय:-

महाविद्यालय संचालन हेत् सम्बद्धना की स्टीकिन

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकःसम्बद्धता/2518, दिनांक 01-10-2008, पत्रांकःसम्बद्धता/371, दिनांक 28-04-2010 एवं पत्रांकःसम्बद्धता/1880, दिनांक 09-08-2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन वेदान्त कालेज ऑफ एजूकेशन, गढ़मुक्तेश्वर, गाजियाबाद को बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम में 50 अतिरिक्त सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन सत्र 2010-11 हेतु सम्बद्धता विस्तरण की पूर्वानुमित प्रदान कर दी है:-

संस्था द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की (1) धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अविध में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को (2) सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्ती की अनुपालन करेगी।

संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय (4) द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

(सुरजन सिंह)

संख्या-1872(1)/सत्तर-2-2009-तद्दिनांक

<u>७/२(1)/ ततार-२-२००५-तदावनाक</u> प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्र, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, (1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।

(2)

(3)

सचिव/प्रबन्धक, वेदान्त कालेज ऑफ एजूकेशन, गढ़मुक्तेश्वर, गाजियाबाद। 4

निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री। (5)

गार्ड फाइल। (6)

(सुरजन सिंह) अनु सचिव। गुरूर्गुरुतमें धाम NCT (A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)

Northern Regional Committee

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान) उत्तर क्षेत्रीय समिति

APN 0 4 8 7 0 4 8 7 0

Date: 12 2 100 2008

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

ORDER

WHEREAS in terms of Section 15(1) of the NCTE Act, Vadant College of Education, Allahbakspur, Garh Muukteshwar, Garh, Ghaziabad, U.P. has submitted an application (code No. 04870) to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition for B.P.Ed. Add. Course of one year duration with an annual intake of 50 (Fifty Only) students.

- 2. AND WHEREAS on scrutiny of the application submitted by the institution, the documents attached therewith the affidavit and the input received from the visiting team in the form of report and videography, the Committee is satisfied that the institution/society fulfills the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the Secondary Teacher Education programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms.
- 3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 15(3) (a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition to Vadant College of Education, Allahbakspur, Garh Muukteshwar, Garh, Ghaziabad, U.P. for conducting B.P.Ed. Add. Course of one year duration with an additional intake of 100 (One hundred only) making total intake of 100 (50+50) students under clause 7(12) of Regulation dated 13.01.2006 subject to fulfillment of the following:
 - (i) The institution shall within one month of the receipt of recognition order, convert the endowment fund account into a joint account to be operated along with an official of the Northern Regional Committee.
 - (ii) The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.
- 4. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC and the State Government etc, wherever applicable.
- 5. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.
- 6. If the institution contravenes any of the above conditions or any of the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made or issued there under, the Regional Acts.

Chairman
Vedant College of Education
Shyana Road Garhmukteswer

कार्यालय: ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर-302004 (राजस्थान) कार्यक्षेत्र: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान Phone No.: 0141-2623501 (O), Telefax No.: 0141-2620116 (RD)

Ghazibad (6). St) anti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302004 (Rajasthan) Jurisdiction: U.P., Uttrakharid, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan E-mall: nro@ncte-in.org • Website: http://www.nrcncte.org, www.ncte-in.org

TO DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF

- The institution shall maintain & update the Website as per provisions of NCTE Regulations.
- The staff appointed is to be rectified by the affiliating body and the copy of same is to be submitted to this office for records.

Dr. Ajit Singh Rana) Regional Director

The Manager to Govt. of India Department of Publications, (Gazette Section) Civil Lines, Delhi-110 054

Copy to

1. The Principal, Vadant College of Education, Allahbakspur, Garh Municipality

2. The Secretary, Dept. of Elementary Education and literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt.of India, Shastri Bhawan, New Delhi-110 001,

3. The Secretary, Govt .of U.P. (Deptt. of Higher Education), Secretariat, Lucinow, U.P. 4. The Registrar, C.C.S. University, Meerut, U.P.

5. The Director, Directorate of Higher Education, I/C Teacher Education, Gave of U.P.,

6. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawen, Wing-II, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002.

Office order file/Institution file.

(Regional Director

प्रेषक,

डॉ० रामानन्द प्रसाद, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊःदिनांकः जुलाई, 2010

विषय:-

महाविद्यालय संचालन हेतृ सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय आपके पत्रांकःसम्बद्धता/2519, दिनांक 01-10-2008, पत्रांकःसम्बद्धता/, दिनांक 04-06-2009, पत्रांकःसम्बद्धता/1010, दिनांक 15-07-2010 एवं पत्रांकःसम्बद्धता/372, दिनांक 28-04-2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन वेदान्त कालेज ऑफ एजूकेशन, गढ़मुक्तेश्वर, गाजियावाद को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 अतिरिक्त सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत यह आदेश रिट याचिका संख्या-11697(एम0/बी0)/2008 वेदान्त कालेज ऑफ एजूकेशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19-12-2008 के अनुपालन में निम्नालिखित शर्तों के अधीन सन्न 2008-09 से सम्बद्धता की पूर्वानुमित प्रदान कर दी है:-

- (1) मां उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बीं 10एड 0 सत्र 2008-09 की काउन्सिलिंग दिसम्बर, 2009 में अन्तिम रूप से समाप्त होने एवं वीं 10एड 0 सत्र 2009-10 की कोई संयुक्त प्रवेश परीक्षां न होने के कारण संस्था को छात्र अद्यावधिक शिक्षा सत्र की होने वाली काउन्सिलिंग के माध्यम से ही आवंटित हो सकेंगे।
- (2) संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
- (3) महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी०एड० पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।
- (4) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(5) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली /अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(डॉ० रामानन्द प्रसाद) संयुक्त सचिव।

संख्या-871(1)/सत्तर २-2010-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु प्रेषित:-

(1) मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ देंच, लखनऊ।

(2) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर।

(3) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

to fall ours ergo our few f region wants are represented

(4) देशीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।

-(5) सचिव/प्रबन्धक, वेदान्त कालेज ऑफ एजूकेशन, गढ़मुक्तेश्वर, गाजियाबाद।

(6) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।

(7) गार्ड फाइल।

आहा से,

स्था होते के इस उसके कार्या के स्थाप क स्थाप के स्था के स्थाप के



NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER E ATION

(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)

Northern Regional Committee

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

पुरुष्पुंक्तमो धाम NCTMRC/NCTE/F-7/UP-2655/2008 / 595- 1/60) उत्त

उत्तर क्षेत्रीय सुमिति

12 2 APR 2008

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY ORDER

WHEREAS in terms of Section 15(1) of the NCTE Act, 1993 Vadant College of Education, Aliahbakspur, Garh Muukteshwar, Garh, Ghazlabad, U.P. has submitted an application (code No. 04869) to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition for B.Ed. Add Course of one year duration with an annual intake of 100 (One Hundred Only) students.

- 2. AND WHEREAS on scrutiny of the application submitted by the institution, the documents attached therewith the affidavit and the input received from the visiting team in the form of report and videography, the Committee is satisfied that the institution/society fulfills the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the Secondary Teacher Education programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms.
- 3. NOW, THEREFORE, In exercise of the powers vested under Section 15(3) (a) of the NC E Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition to Vadar. College of Education, Allahbakspur, Garh Muukteshwar, Garh, Ghaziabad, U.P. for conducting B.Ed. Add. Course of one year duration with an additional intake of 100 (One hundred only) making total intake of 200 (100+100) students under clause 7(12) of Regulation dated 13.01.2006 subject to fulfillment of the following:
 - (I) The institution shall within one month of the receipt of recognition order, convert the endowment fund account into a joint account to be operated along with an official of the Northern Regional Committee.
 - (ii) The Institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.
- Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC and the State Government etc, wherever applicable.
- The Institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.
- 6. If the institution contravenes any of the above conditions or any of the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made or issued there under, the Regional Committee may withdraw the recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.



Cont....2

- .The Institution shall maintain & update the Websita as per provisions of NCTE Regulations.
- The staff appointed is to be rectified by the affiliating tody and the copy of same is to be submitted to this office for records.

By order,

(Df, Afit Singh Rana Regional Director

To,

The Manager to Govt, of India Department of Publications, (Gazette Section) Civil Lines, Delhi-110 054

Copy to

1. The Principal, Vadant College of Education, Allahbakspur, Garh Muukteshwar,

2. The Decretary, Govt of U.P. (Deptt. of Higher Education), Secretariat, Lucknow, U.P.

3. The Registrar, Ch. Charan Singh University, Meerut, U.P.

4. The Secretary, Deptt. of Higher Education and literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi-110.001.

5. The Director, Directorate of Higher Education, I/C Teacher Education, Govt. of U.P.,

6. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-11, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002.

7. Office order file/Institution file.

(Regional Director

MIC

